Remove Watermark Now

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 411/2.018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–दीपा रेवाचन्दानी पत्नी नारायणदास जाति सिन्धी निवासी नई सडक, जोधपुर 2–हुकमाराम पुत्र अचलाराम 3–वगताराम पुत्र अचलाराम 4–गोकुलराम पुत्र अचलाराम 5–पेमाराम पुत्र अचलाराम 6–ओमाराम पुत्र लालूराम 7–पारसराम पुत्र लालूराम 8–रमेशराम पुत्र लालूराम 9–मोहनीदेवी पत्नी लालूराम अपीलांट संख्या 2 से 9 जातियान नाई निवासीगण ग्राम पटाऊखुर्द, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 10–राणसिह पुत्र हीरसिह 11–हडमानसिह पुत्र हीरसिह 12–भंवरकंवर पत्नी शिवसिह 13–खुशालसिह पुत्र शिवसिह 14–पन्नेसिह पुत्र चुन्नीलाल 15–कानसिह पुत्र तुलछसिह 16–जठूसिह पुत्र तुलछसिह अपीलांट संख्या 10 से 16 जातियान राजपुरोहित निवासीगण ग्राम पटाऊखुर्द तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर 2–उपखण्ड अधिकारी बालोतरा जिला बाडमेर

pdfelement

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 19–4–2018 जो उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा मुकदमा संख्या 20/2017 अनवान तहसीलदार पचपदरा बनाम दीपा रेवाचन्दानी वगैरा मे पारित कर आदेश मे वर्णित खसरों मे से रास्ते हेतु राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस मे रास्ता दर्ज करने हेतु आदेश दिया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री गोपाल सिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 31–12–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार पचपदरा ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60, 66, 86 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पटाऊकलां के खसरा नंबरान 262/81, 276/96, 275/96, 93, 92, 91, 108, 309/112, 310/112, 311/112, 113, 313/112, 308/111, 123, 122 की रकबा क्रमशः 0.02, 0.12, 0.11, 0.15, 1.17, 1.03, 0.15, 0.06, 0.07, 0.06, 0.18, 0.08, 1.05, 0.07, 1.02 बीघा भूमियो पर चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परंतु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबंदी व नक्शे मे अंकन नही है, उनका अंकन करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के आदेश क्रमांक/प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10–8–2016 के अनुसरण मे

Remove Watermark Now

प्रेषित किया । तहसीलदार के उक्त प्रस्ताव की पुष्टि पटवारी हल्का पटाउकलां द्वारा करने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–4–2018 के द्वारा प्रस्तावित भूमि ए से बी बिन्दु तक वर्णित मार्क अनुसार तरमीम करने का आदेश पारित किया तथा उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते मे ही दर्ज रहेगा । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांटगण ने उक्त अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया ।

अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व खातेदारान वर्तमान अपीलांटगण को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया तथा न ही किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारो को बिना सुनवाई का मौका दिये उनके हितो के विपरीत किसी प्रकार का आदेश पारित नही किया जावें इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण के खेत मे से कभी भी रास्ताा नही था फिर भी राजस्व अधिकारियो/कर्मचारियो ने अपने लोगो को लाभ पंहुचाने की गरज से तथा अपीलांटगण को नुकसान पहुंचाने के गरज से बिना मौके की जांच करवाये तथा बिना विधिक प्रकिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

pdfelement

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आदेशिकाओ की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि आदेशिका मे खातेदारो को नोटिस जारी करने की आदेशिका का उल्लेख अवश्य है परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे समस्त खातेदारो के नोटिस जारी होना तथा उनसे तामिल होने की कोई पुष्टि नही होती है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये गैर कानूनी तरीके से कुछ प्रभावशाली व्यक्तियो के साथ मिलीभगत कर अपीलांटगण के खातेदारी की भूमि मे से रास्ता घोषित कर दिया जिसकी न तो काई सहमति प्राप्त की गई और न ही कोई प्रस्ताव ही पारित किया गया और न ही उक्त रास्ते की आवश्यकता के संबंध मे ग्रामवासियो से पूछताछ या मौका कमिश्नर रिपोर्ट ही तलब की इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत एवं विधिविरूद्ध होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांटगण को अपीलाधीन आदेश की पूर्व मे किसी प्रकार की जानकारी नही थी तथा अपीलाधीन आदेश बिना अपीलांटगण

Remove Watermark Now

को सूचित किये पारित किया गया है इसलिए अपीलांटगण को जैसे ही अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई तब अपीलाधीन निर्णय, आदेशिकाओ आदि की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर यह अपील पेश की है इसलिए अपील पेश करने हुए विलंब को सद्भाविक मानते हुए उक्त अपील को अन्दर सुमार करने का भी निवेदन किया ।

अंत मे अपीलांटगण की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–4–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्तो की समस्याओ के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के दौरान तहसीलदार पचपदरा ने राज्य सरकार के परिपत्रो के अनुसरण मे अपीलाधीन आदेश मे वर्णित खसरा नंबरान मे से चल रहे रास्तो जिनका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे नही होने से उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड मे गै.मु.रास्ता दर्ज करने हेतु विधिवत प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी बालेतरा को प्रेषित करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है,वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष तहसीलदार पचपदरा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60, 66, 86 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पटाऊकलां के खसरा नंबरान 262/81, 276/96, 275/96, 93, 92, 91, 108, 309/112, 310/112, 311/112, 113, 313/112, 308/111, 123, 122 की रकबा क्रमशः 0.02, 0.12, 0.11, 0.15, 1.17, 1.03, 0.15, 0.06, 0.07, 0.06, 0.18, 0.08, 1.05, 0.07, 1.02 बीघा भूमियो पर चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परंतु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबंदी व नक्शे मे अंकन नही है, उनका अंकन करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के आदेश क्रमांक/प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10–8–2016 के अनुसरण मे प्रेषित किया । तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन करने पर उक्त प्रस्ताव पर गांव के किसी मौतबिरान के हस्ताक्षर नही है, प्रस्ताव किसके आवेदन पर तैयार किया गया है, ऐसा भी कोई आवेदन पत्रावली पर नही है, गै.मु.रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि के किसी खातेदार का नोटिस जारी किया जाना पत्रावली से प्रकट नही होता है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका मे खातेदारान को नोटिस जारी करने के आदेश अवश्य पारित किये हुए है । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय मे जब प्रस्तावित रास्ते की भूमि के कुछ खातेदारान ने अधीनस्थ न्यायालय मे आपत्ति प्रकट कर दी थी कि प्रस्तावित भूमि पर कोई पुराना रास्ता नही चल रहा है और न ही प्रस्तावित भूमि रास्ते के उपयोग मे आ रही है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आपत्ति का निस्तारण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित

pdfelement

Remove Watermark Now

प्रस्ताव के हु–ब–हु पारित कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही माना जा सकता है । किसी भी खातेदार की खातेदारी की भूमि के रकबे को किसी प्रयोजनार्थ यदि कम किया भी जाता है तो उसे सुचित कर सुनना तथा उसकी सहमति ली जाना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक प्रावधान की पालना किये ही पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया हुआ होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–4–2018 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीलांटगण की आपत्ति को उनको सुनकर उसका निस्तारण करे, अपीलाधीन भूमि पर चल रहे रास्ते के संबंध मे मौका जांच रिपोर्ट अपीलांटगण एवं अन्य मोतबिरान के रूबरू तैयार करवाई जावे एवं अपीलाधीन भूमि के हितबद्ध समस्त खातेदारान को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 31–12–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

pdfelement

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2020.01.14 13:42:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: